न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 37 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री मकसूद पुत्र नन्हेखॉ जाति–मुसलमान निवासी–पलायथा तहसील–अन्ता जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 27.01.2020

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी मकसूद पुत्र नन्हेखॉ मुसलमान निवासी–पलायथा को ग्राम पलायथा तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.16 है0 किस्म सिवायचक बजंड दिनांक 21.06.2000 को आवंटित हुई थी। आवंटित आराजी के सम्वत् 2010–29 में साबिक खसरा नम्बर 801 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा किस्म नाला दर्ज है। उक्त आराजी की सेटलमेंट पूर्व किस्म नाला होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन / नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 [illegible] पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन / नियमन निरस्त किय[illegible] भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रार्थना पत्र [illegible] रजिस्टर कर, अप्रार्थी [illegible] जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी द्वारा दिनांक 18.05.2017 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3– अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि उक्त आराजी अप्रार्थी को आवंटन शिविर पलायथा में आवंटित हुयी है। यह भूमि बजंड व समतल

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

भूमि थी। वहॉ पर कोई खाल नाल आदि नहीं था। चारो ओर खातेदारो की भूमि स्थित है। अप्रार्थी 2000 से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में अप्रार्थी की गेहूॅ की फसल. पैदा की है। अप्रार्थी 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, उक्त आराजी से लगा हुआ अप्रार्थी का खाते का खेत है। अप्रार्थी गत 50 वर्षो से उक्त आवंटित भूमि पर काश्त कर रहा है, मौके पर कोई खाल नाल नहीं है। उक्त आराजी अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी रेफरेंस की कार्यवाहीं गैर कानूनी एवं नियम विरूद्व है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

4– प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थी को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा शिविर केम्प पलायथा पर, आराजी खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.16 है0 ग्राम पलायथा का दिनांक 21.6.2000 आवंटन किया गया है। जिस उक्त अप्रार्थी को भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म बजंड राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। लेकिन उससे पूर्व सेटलमेंट सम्वत् 2010–29 में नाला दर्ज थी। विवादित आराजी बाद सेटलमेंट ख0नं0 1067 रकबा 0.16 है0 किस्म बजंड दर्ज हुयी है। लेकिन इसका मूल स्वरूप नाला हीं है, जो प्रतिबंधित भूमि है तथा यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा शिविर मुकाम पलायथा पर अप्रार्थी [illegible] भूमिहीन एवं उक्त आवंटित आराजी पर लगातार काबिज काश्त [illegible] अप्रार्थी को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.16 है0 किस्म बजंड [illegible] आवंटन किया है। मौके पर उक्त भूमि नाला नहीं है, भूमि समतल होने के कारण अप्रार्थी वर्षो उक्त आराजी को काश्त कर रहा है। अप्रार्थी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार मिल चुके है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय की नजीरें है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, अन्ता द्वारा काफी वर्षो पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रकिया के तहत आवटंन हुआ है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अप्रार्थी मकसूद खॉ पुत्र नन्हेखॉ नि. पलायथा को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1067 कुल रकबा 2.91 है0 में से 0.16 है0 दिनांक 21.06.2000 को आवंटित हुयी थी जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में ख0नं0 2246/1067 रकबा 0.16 है0 अप्रार्थी के खाते दर्ज है। विवादित आराजी आवंटन योग्य नहीं थी। उक्त आराजी सेटलमेंट पूर्व सम्वत् 2010–29 ख0नं0 801 रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा किस्म नाला राजस्व रेकार्ड खाता सरकार दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को आवंटित आराजी की मूल किस्म नाला है, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है।

8– बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने तर्क दिया है कि आवंटित आराजी उसके खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। खातेदारी में भूमि दर्ज होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इस परिपेक्ष्य में अप्रार्थी अभिभाषक का कथन हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है।

9– अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी सेटलमेंट पूर्व सम्वत् 2010–29 में आराजी ख0नं0 801 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पलायथा किस्म नाला खाता सरकार दर्ज थी जिसमें से अप्रार्थी मकसूद पुत्र नन्हेखॉ जाति–मुसलमान निवासी पलायथा को बाद सेटलमेंट बने नये नम्बर 2246/1067 रकबा 0.16 है0 ग्राम पलायथा का दिनांक 21.6.2000 को आवंटन हुआ है, जो वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म नाला दर्ज थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested

10– परिणामस्वरूप प्रार्थी जरिये तहसीलदार, अन्ता का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी मकसूद पुत्र नन्हेखॉ मुसलमान निवासी–पलायथा को आवंटित आराजी ख0नं0 2246/1067 रकबा 0.16 है0 किस्म बंजड ग्राम पलायथा दिनांक 21.6.2000 जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व सम्वत् 2010–29 साबिक खसरा नम्बर 801 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा किस्म नाला से बना है जिसमें से अप्रार्थी को 0.16 है0 भूमि

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

गलत रूप से आवंटित हुयी है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, जयपुर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनश्चित करे।

11– तहसीलदार, अन्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो खातेदार अप्रार्थी मकसूद पुत्र नन्हेखॉ मुसलमान नि. पलायथा के खाते दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2246/1067 रकबा 0.16 है0 ग्राम पलायथा किस्म बजंड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बेचान,हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 27.01.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested